(103)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 4128/पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.10.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 396/15-16/अपील.

शेरबानो पिता स्व. हुसैन उद्दीन मुसलमान
निवासी छोटी सागौर, तह. व जिला धार
हाल मुकाम कबूतर खाना, इंदौर, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती बदरू बी पति स्व. नजीम खां मुसलमान
   निवासी छोटी सागौर, तह. व जिला धार, म.प्र.
2. इस्लामउद्दीन पिता स्व. नजीम खां मुसलमान
   निवासी 129, चंदन नगर, इंदौर, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 17.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सागौर तहसील व जिला धार स्थित कृषि सर्वे क्रमांक 234/1 रकबा 0.413 हैक्टेयर है जो कि सिराजुद्दीन के नाम थी। सिराजुद्दीन की मृत्यु होने से उक्त भूमि पर अनावेदकगण द्वारा वारिस बताकर नामांतरण करा लिया गया, जबकि आवेदक भी सिराजुद्दीन की वारिस है। उक्त नामांतरण की जानकारी आवेदक को होने पर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। नकल मिलने में देरी होने की संभावना से अवधि विधान की धारा 5 के

आवेदन के साथ अनुविभागीय अधिकारी, धार के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/अपील/15-16 दर्ज कर दिनांक 04.02.2016 को आदेश पारित कर आवेदक की अपील अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के संबंध में उचित समाधान कारक आधार प्रस्तुत न किये जाने के कारण निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17.10.2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) ग्राम सागौर तहसील व जिला धार में सर्वे नं. 234/1 रकबा 0.417 हैक्टेयर लगान 7.75 पैसे की भूमि स्थित है। यह आवेदक के पिता सिराजुद्दीन के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित थी।

(2) आवेदक सिराजुद्दीन की पुत्री होकर उसकी वारिस है। यह तथ्य अनावेदकगण को शुरू से ज्ञात है, किन्तु उन्होंने इस तथ्य को छुपाकर स्वयं खुद को सिराजुद्दीन का वारिस बताकर उक्त भूमि पर नामांतरण करा लिया, जबकि पृथक भूमि स्वामी सिराजुद्दीन की एकमात्र उसकी पुत्री शेरबानों है। इसलिए अनावेदक को उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। धोखाधड़ी करके आवेदक की भूमि का नामांतरण करा लिया जो पूर्ण रूप से अवैध है।

(3) जून 2015 में अनावेदकगण ने भूमियों पर नाम चढ़ा लिया है। इस तथ्य की जानकारी आवेदक को सागौर पटवारी द्वारा प्राप्त हुई।

(4) नामांतरण आदेश की नकल मिलने से समय लगने की संभावना होने से कम्प्यूटर से प्रति प्राप्त करके बीना सर्टिफाइड कॉपी के साथ आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी।

(5) आवेदन के साथ आवेदन के समर्थन में आवेदक ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था।

(6) अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के न्याय दृष्टांत पर भी बहस किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय दृष्टांत पर योग्य विचार नहीं किया।

(7) आवेदक अत्यंत गरीब महिला है। मेरिट पर उसका प्रकरण बहुत स्ट्रॉग है और विधि यह है कि न्याय दान के लिए तकनीकी बिन्दु पर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। इस विधि पर भी प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विचार न करते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है।
अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदकगण के पेशी दिनांक 19.06.2018 में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में पंजी पर अनावेदक क्र. 1 ने अनावेदक क्र. 2 का नाम जुड़वाया, जबकि अनावेदक क्र. 2 के एक और भाई की लड़की जो कि आवेदिका है, उसको भी मूल भूमिस्वामी के वारिस होने से सुना जाना चाहिए था। अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण के गुण दोष पर ध्यान न देकर समयसीमा के आधार पर अपीलें खारिज की गई, जो कि उचित नहीं है। प्रकरण में सभी वारिसों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना उनका वैधानिक अधिकार है। अत: अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 तथा अनुविभागीय अधिकारी, धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2016 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण तहसीलदार, धार की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुण दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करे।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर